इस्राएल के साथ परमेश्वर की वाचा

"और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले; क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बान्धता हूं। मूसा तो वहां यहोवा के संग चालीस दिन और रात रहा; और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पीया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात दस आज्ञाएं लिख दीं" (निर्गमन 34:27, 28)।

परमेश्वर द्वारा अपने लोगों अर्थात इस्राएल के साथ बांधी वाचा पुराने नियम में पाई जाने वाली एक प्रमुख वाचा है। यह वाचा यीशु में पूरी होने वाली इब्राहीम से की गई प्रतिज्ञा के पूरा होने तक परमेश्वर के ज्ञान को बनाए रखने के लिए थी (गलतियों 3:17–19)।

परमेश्वर ने "बहुतों का पिता" के रूप में उसकी भूमिका को दिखाने के लिए इब्राहीम का नाम बदल दिया था (पहले उसका नाम अब्राम था, जिसका अर्थ है "उन्नत पिता") (उत्पत्ति 17:2–5; 22:17)। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि उसकी संतान बहुत अधिक होगी। उसने यह प्रतिज्ञा इब्राहीम के पुत्र इसहाक (उत्पत्ति 26:4) और पोते याकूब के साथ दोहराई जिसका नाम बदलकर इस्राएल रखा गया था (उत्पत्ति 28:14; 32:28)।

इस वाचा की पृष्ठभूमि

इस्राएल के लोगों से वाचा बांधने तक की घटनाओं में याकूब के पुत्र यूसुफ को उसके भाइयों द्वारा बेचने से मिसर में गुलाम बनने की बात भी शामिल है। उसके स्वामी की पत्नी द्वारा बलात्कार करने के प्रयास का आरोप लगाने के बाद उसे जेल में डाल दिया गया था। सात वर्ष तक भरपूर फसल के बाद सात वर्षों के अकाल के विषय में फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बताने पर यूसुफ को जेल से छोड़कर मिसर में दूसरे नम्बर का हाकिम बना दिया गया था। अकाल के मिसर से कनान तक फैलने पर याकूब ने अपने दस पुत्रों को अनाज खरीदने के लिए मिसर में भेजा था। यूसुफ द्वारा अपने भाइयों को अपने बारे में बताने के बाद, उसने अकाल के अधिक देर तक रहने और भीषण होने के कारण अपने पिता को मिसर में बुला लिया। परमेश्वर ने याकूब को यह आश्वासन देने के लिए कि उसे मिसर में जाना चाहिए,

दर्शन दिया। उसने कहा, ''तू मिस्र में जाने से मत डर; क्योंकि मैं तुझ से वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा'' (उत्पत्ति 46:3)। याकूब अपनी पत्नियों, पुत्रों और उनकी पत्नियों व बच्चों को लेकर जो कुल मिलाकर सत्तर लोग थे, मिसर में चला गया (निर्गमन 1:1-5)। वहां उनकी गिनती बड़ी तेजी से बढ़ी: ''और इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी; और वे लोग अत्यन्त सामर्थी बनते चले गए; और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया'' (निर्गमन 1:7)।

इन लोगों के मिसर में जाने के चार सौ वर्ष बाद और दासता के कई वर्षों बाद, मूसा ने मिसर से निकलने के लिए परमेश्वर के लोगों की अगुआई की। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार (उत्पत्ति 12:2), इब्राहीम की संतान बढ़कर एक बड़ी जाति बन चुकी थी। इन गुलामों में बीस या सेना में भर्ती होने के योग्य और इससे अधिक आयु के 6,05,550 पुरुष (गिनती 1:45, 46) और लेवी के कबीले के 22,000 पुरुष थे (गिनती 3:39) जिन पर इस्राएल की धार्मिक गतिविधियों को पूरा करने का जिम्मा था (गिनती 1:50-53)।

इब्राहीम, इसहाक, और याकूब की यह संतान मिसर से सीनै पर्वत पर आ गए (निर्गमन 19:23; 20:1-17), जिसे होरेब भी कहा जाता था (व्यवस्थाविवरण 5:2) जहां परमेश्वर ने उन्हें एक राष्ट्रीय कानून दिया था। मूसा ने इस व्यवस्था के विषय में कहा था: ''देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जब कि हम उसको पुकारते हैं ? फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हों, जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे साम्हने रखता हूं ?'' (व्यवस्थाविवरण 4:7, 8)।

इस व्यवस्था की बातें

व्यवस्था में जो भी विधियां, नियम और फरमान थे (व्यवस्थाविवरण 4:7, 8, 45; 5:1), उन्हें यहोवा की आज्ञाएं माना जाता था। मूसा ने कहा था, ''जो आज्ञा मैं तुम को सुनाता हूं उसमें न तो कुछ बढ़ाना, और न कुछ घटाना; तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञाएं मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना'' (व्यवस्थाविवरण 4:2)।

इस वाचा को ''वाचा की पुस्तक'' (निर्गमन 24:7), ''वाचा का लोहू'' (निर्गमन 24:8) और ''वाचा की पटियाएं'' (व्यवस्थाविवरण 9:11) कहा जाता है। ''वाचा का संदूक'' (गिनती 10:33; 14:44; व्यवस्थाविवरण 10:8) भी लिखा है, क्योंकि दस आज्ञाएं पत्थर की दो तख्तियों पर लिखी गई थीं और संदूक में रखी गई थीं (व्यवस्थाविवरण 10:4, 5)।

वाचा को हम ''साक्षीपत्र'' के रूप में भी जानते हैं (निर्गमन 27:21; 31:18; 32:15; 34:29; 40:20)। इसी कारण, इसे ये नाम भी मिलते हैं: ''साक्षी का संदूक'' (निर्गमन 25:16, 21, 22), ''साक्षी देने वाली दो तख्तियां'' (निर्गमन 31:18), ''साक्षीपत्र का निवास [या तम्बू]'' (निर्गमन 38:21; गिनती 1:50; 2 इतिहास 24:6)। ''साक्षीपत्र के ऊपर प्रायश्चित का ढकना'' (लैव्यव्यवस्था 16:13) और ''साक्षीपत्र का पर्दा'' (लैव्यव्यवस्था

24:3) कहा गया है। हो सकता है कि इसका नाम उस यहूदी धर्म शास्त्र पर आधारित हो जिसे पुराना नियम (साक्षी) और मसीही धर्मशास्त्र अर्थात नया नियम कहा जाता है।

पुराने नियम में वाचा के संदूक का अन्तिम उल्लेख योशिय्याह द्वारा किए जाने वाले सुधारों से समय मिलता है (2 इतिहास 35:3) जो कि बाबुल द्वारा यहूदा को बंदी बनाकर ले जाए जाने से कुछ वर्ष पहले की बात है। नये नियम में वाचा के संकेत (इब्रानियों 9:4) से हमें पता चलता है कि लेखक वाचा के बारे में जानता था। इसका अन्तिम हवाला यूहन्ना द्वारा दिया गया था, जिसने (एक दर्शन में) इसे स्वर्ग में परमेश्वर के मन्दिर में देखा था (प्रकाशितवाक्य 11:19)।

यह दिलचस्प तथ्य तो है लेकिन शायद कम महत्व का कि दस आज्ञाओं की बात करते हुए निर्गमन, लैव्यव्यवस्था, और गिनती में ''वाचा'' और ''साक्षीपत्र'' इस्तेमाल हुआ है, जबकि व्यवस्थाविवरण में ''साक्षीपत्र'' नहीं बल्कि ''वाचा'' शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है।

इस वाचा की प्रकृति

इस्राएल के साथ परमेश्वर की वाचा के सम्बन्ध में उपलब्ध महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं।

(1) *वाचा परमेश्वर ने बांधी।* यह एक संधि थी जिसे परमेश्वर ने छोटे पक्ष अर्थात इस्राएलियों पर लागू किया था। परमेश्वर ने मूसा को वे बातें लिखने के लिए कहा जो वह उन्हें दे रहा था क्योंकि वह उन्हीं बातों से उनके साथ वाचा बांध रहा था (निर्गमन 34:27)। मूसा ने कहा था, ''हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो होरेब पर हम से वाचा बान्धी'' (व्यवस्थाविवरण 5:2)।

(2) *वाचा परमेश्वर और इस्राएल के बीच थी।* केवल परमेश्वर और इस्राएल के लोगों के ही इस वाचा में शामिल होने की बात कही गई है (निर्गमन 34:27; व्यवस्थाविवरण 5:1, 2; 1 राजा 8:9, 21)। यह वाचा इस्राएल के पूर्वजों या अन्यजातियों के लोगों के साथ नहीं बांधी गई थी। मूसा लिखता है, ''इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बान्धा, जो यहां आज के दिन जीवित हैं'' (व्यवस्थाविवरण 5:3)। यह वाचा केवल इस्राएल के लोगों के साथ ही थी।

(3) *वाचा की प्रमुख बात दस आज्ञाएं थीं।* निर्गमन 34:28ख में लिखा है, ''और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात दस आज्ञाएं लिख दीं।'' चालीस वर्ष बाद, इस्राएल द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने के लिए यरदन नदी पार करने से कुछ ही समय पूर्व, मूसा ने लिखा था, ''और उसने तुमको अपनी वाचा के दसों वचन बताकर उनको मानने की आज्ञा दी; और उन्हें पत्थर की दो पट्टियों पर लिख दिया'' (व्यवस्थाविवरण 4:13; 10:1–4 भी देखिए)।

''दस आज्ञाएं'' वाक्यांश में ''आज्ञाएं'' शब्द इब्रानी शब्द *दाबार* (*dabar*) का अनुवाद है जिसका अर्थ है ''वचन'' या ''कहावत।'' किंग जेम्स वाले अंग्रेज़ी के अनुवाद में इस

संज्ञा का अनुवाद ''वचन'' के रूप में 770 बार जबकि ''आज्ञा'' के रूप में केवल 20 बार हुआ था। इब्रानी शब्द *मित्स्वा* जिसका अधिकतर अनुवाद ''आज्ञा'' हुआ है, दस आज्ञाओं के लिए कभी नहीं कहा गया। नये नियम में *entole* शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका अर्थ ''आज्ञा'' है। इन दस आज्ञाओं को केवल अच्छे विचारों के रूप में ही नहीं माना जाता था। बल्कि, उन्हें वैसे ही परमेश्वर के वचन अर्थात उसकी आज्ञाएं मानना आवश्यक था जैसे वे बताई गई थीं।

(4) *मूसा वाचा का मध्यस्थ था।* वाचा देने की बात समझाते हुए, मूसा ने कहा था, ''यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आम्हने–साम्हने बातें की; उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा'' (व्यवस्थाविवरण 5:4, 5)। यह कहकर मूसा ने इस्राएल को दस आज्ञाएं दे दीं (व्यवस्थाविवरण 5:6–21)।

(5) *वाचा सीनै अर्थात होरेब पहाड़ पर दी गई थी।* वाचा देने से कुछ समय पहले मूसा इस्राएल के लोगों को सीनै पर्वत के पास लाया था (निर्गमन 19:17, 18)। सीनै पर्वत पर चढ़ने और परमेश्वर से वाचा लेकर आने के बाद, मूसा इस्राएल को इसे देने के लिए नीचे आया (निर्गमन 19:23–20:17)। उसने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने होरेब पर्वत पर उनके साथ एक वाचा बांधी है; फिर उसने उन्हें दस आज्ञाएं पढ़कर सुनाईं (व्यवस्थाविवरण 5:2–21)।

(6) *वाचा का मूल दस्तावेज पत्थर की दो तख्तियों पर लिखा गया था, जिन्हें वाचा के संदूक में रखा गया था।* दस आज्ञाओं की बातें तख्तियों के दोनों ओर (निर्गमन 32:15, 16) ''परमेश्वर की उंगली से लिखी'' (निर्गमन 31:18; व्यवस्थाविवरण 9:10) गई थीं। यह तथ्य कि वे दो पत्थरों पर लिखी गई थीं निर्गमन 34:1 और व्यवस्थाविवरण 5:22; 9:10; 10:3, 4 में दोहराया गया है।

वास्तव में, मूसा ने जब पहाड़ से लौटकर इस्राएल को बुराई में लिप्त पाया था तो उसने वे पहली तख्तियां तोड़ डाली थीं (निर्गमन 32:19; व्यवस्थाविरण 9:16, 17)। मूसा के दूसरी बार सीनै पर्वत पर जाने से पहले, परमेश्वर ने उसे बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाने के लिए कहा था। (संदूक के लिए आवश्यक सामान के बारे में निर्गमन 25:10–22 में बताया गया है; जबकि संदूक बनाने का वर्णन निर्गमन 37:1–9 में किया गया है।) नई तख्तियां लेने के बाद (निर्गमन 34:28ख) मूसा ने पहाड़ से नीचे आकर उन्हें संदूक में रख दिया था (व्यवस्थाविवरण 10:1–5)। सुलैमान के समय ये संदूक में ही थीं (1 राजा 8:9, 21)।

(7) *परमेश्वर ने इस्राएल से उनके मिसर छोड़ने के बाद वाचा बांधी* (1 राजा 8:9,12)। यह वाचा आदम, नूह, इब्राहीम, इसहाक, याकूब या उनकी संतान में से उस समय किसी के साथ (व्यवस्थाविवरण 5:1–5) या पृथ्वी के दूसरे लोगों से नहीं बांधी गई थी। इस्राएल के साथ यह वाचा उनके एक जाति के रूप में बनने से पहले नहीं बांधी जा सकती थी, जो कि वे मिसर से निकलने तक नहीं बने

थे। वे एक परिवार से, एक घुमक्कड़ कबीले, फिर मिसर में गुलाम लोग और अंतत: एक पूर्ण विकसित जाति बन गए थे।

(8) *यह वाचा बांधने वाला समझौता, सन्धि, या अनुबन्ध (इकरारनामा) था जो लहू के साथ पक्का हुआ था।* यह कहने के बाद कि नई वाचा इसे बांधने वाले की मृत्यु के द्वारा दी गई थी (इब्रानियों 9:16, 17) इब्रानियों की पत्री के लेखक ने लिखा था:

> इसी लिए पहिली वाचा भी बिना लोहू के नहीं बान्धी गई। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लोहू लेकर, पानी और लाल ऊन, और जूफा के साथ, उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। और कहा, कि यह उस वाचा का लोहू है, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। (इब्रानियों 9:18-20)

वाचा युवकों द्वारा पशुओं के बलिदान देने के बाद दी गई थी। ''तब मूसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया, और उन से कहा, देखो, यह उस वाचा का लोहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बान्धा है'' (निर्गमन 24:8)।

वाचा के एक बार लागू होने पर न तो इसमें कुछ जोड़ा जा सकता था और न ही कोई सुधार किया जा सकता था। पौलुस ने इसी वाचा की न बदलने वाली प्रकृति की ओर ध्यान दिलाया: ''हे भाइयो, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, कि मुनष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है'' (गलतियों 3:15)। निष्कर्ष यह है कि एक बार इसके लागू हो जाने के बाद, इस्राएल के लोगों के साथ परमेश्वर की वाचा में कोई शर्त नहीं जोड़ी जा सकती थी और न ही इस वाचा में अन्य लोगों को शामिल किया जा सकता था। यह एक अनुबन्ध था जिसमें केवल परमेश्वर और इस्राएल ही दो पक्ष थे, इनके अलावा कोई और नहीं था।

(9) *यदि इस्राएल वाचा को पूरा करता तो निश्चित आशिषें मिलनी थीं।* परमेश्वर ने उन्हें बताया था, ''इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे; समस्त पृथ्वी तो मेरी है। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे'' (निर्गमन 19:5, 6क)।

मूसा ने दस आज्ञाएं देने के बाद, इस्राएल को बताया था, ''जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम को दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो, कि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उस में तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो'' (व्यवस्थाविवरण 5:33)।

इन पदों से पता चलता है कि यदि इस्राएली उसकी वाचा का पालन करते तो परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष राज्य के रूप में मान्यता देनी थी अर्थात उसने उन्हें देश में खुशहाली के साथ लम्बी आयु देनी थी। बेशक उन्हें दिए जाने वाले देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहीम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी वाचा में की थी, परन्तु उनके साथ यह तभी जुड़ी रहनी

थी यदि वे इस्राएल के साथ बांधी परमेश्वर की वाचा को पूरा करते।

वाचा में परमेश्वर ने मृत्यु के बाद जीवन, अनन्त जीवन या स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने की आशीष शामिल नहीं की थी। वाचा की शर्तों में केवल अस्थाई अर्थात पृथ्वी की आशिषें थीं। वाचा मानने वालों के लिए देश में खुशहाली के साथ पृथ्वी पर लम्बे जीवन की प्रतिज्ञा दी गई थी।

(10) *वाचा तोड़ने पर निश्चित श्राप मिलने थे।* यदि वे उसकी वाचा को न मानते तो स्पष्ट रूप से लिखकर, परमेश्वर ने वाचा में शामिल आशिषों को उन्हें नहीं देना था और इस्राएल पर क्लेश व विपत्तियां लाने की बात की थी। इस्राएल पर देश निकाले, गुलाम बनने के जो भी कष्ट आए, वे सब उनके द्वारा वाचा का उल्लंघन करने के कारण ही थे।

लैव्यव्यवस्था 26 में परमेश्वर ने इस्राएल को बताया था:

> यदि तुम मेरी न सुनोगे, और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे, और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुम से यह करूंगा (आयतें 14-16क)।

तब परमेश्वर ने कहा कि वह उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों में डालेगा और यदि वे उनसे भी न मुड़े, तो वह उन्हें सात गुणा अधिक दण्ड देगा (आयत 18)। इसके बाद भी, यदि वे बार-बार पाप करना जारी रखते, तो उसने उनका दण्ड सात गुणा बढ़ाते जाना था (आयतें 21, 24, 28)। उसने ऐसा दण्ड देने के लिए स्पष्ट कारण बताया: ''और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी'' (आयत 25)।

परमेश्वर द्वारा अचानक बेचैन करना, अर्थात क्षयरोग और ज्वर से पीड़ित करना, उनके शत्रुओं द्वारा उनकी लूटपाट और उन पर कब्जा करना, अकाल, और महामारी, और अन्य आतंकों के बाद भी यदि वे मन नहीं फिराते, तो उसने वाचा को पूरी तरह से तोड़ देना था। ''और मैं तुम को जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा; और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा, और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे'' (आयत 33)।

सारांश

परमेश्वर ने इस्राएल के साथ अपने आपको उनका परमेश्वर होने के लिए और उन्हें कनान, अर्थात जिस देश में उन्होंने प्रवेश करना था, खुशहाली के साथ लम्बी आयु देने के लिए बांध लिया। यह वाचा केवल इस्राएल के साथ ही थी। यदि लोग इस वाचा को पूरा करते तो उन्हें परमेश्वर की आशिषों का आनन्द मिलना था; परन्तु यदि इसे तोड़ते तो उन्हें इसका दण्ड मिलना था।